

अध्याय-I

राजस्व क्षेत्र

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार द्वारा उत्थित कर एवं गैर-कर राजस्व, राज्य को दिए गए निर्दिष्ट विभाज्य संघीय कर एवं शुल्क की शुद्ध आय में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े तालिका 1.1 में दिए गए हैं:

तालिका: 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व					
	• कर राजस्व	13,447.85	16,477.75	19,971.67	23,431.52	25,918.69
	• गैर-कर राजस्व	3,467.40	4,188.95	460.87	626.93	659.14
	कुल	16,915.25	20,666.70	20,432.54	24,058.45	26,577.83
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• सहायता अनुदान	3,536.08	4,357.40	1,960.64	1,502.52	1,402.86
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 तथा 2)	20,451.33	25,024.10	22,393.18	25,560.97	27,980.69
4.	1 से 3 तक की प्रतिशतता	83	83	91	94	95

(स्रोत: वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व (₹ 26,577.83 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 95 प्रतिशत था। प्राप्तियों का शेष पाँच प्रतिशत 2013-14 के दौरान भारत सरकार से था।

1.1.1.2 वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान उत्थित कर राजस्व विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2
उत्थित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)													
क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2013-14 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		ब.अ. ¹	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	2013-14 के लिए ब.अ. की अपेक्षा वास्तविक	2012-13 की अपेक्षा 2013-14 की वास्तविक
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	10000.00	10126.01	12600.00	12068.62	14000.00	13750.95	16500.00	15803.68	18200.00	17925.71	(-)01.51	(+)13.43
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1512.00	1643.56	2000.00	2027.09	2400.00	2533.72	3000.00	2869.74	3200.00	3151.63	(-)01.51	(+)9.82
3.	स्टाम्प ड्यूटी	900.00	929.97	1399.97	1355.75	2399.97	2240.25	3799.97	3098.06	3799.98	2969.07	(-)21.87	(-)04.16
4.	मोटर वाहन कर	450.00	462.65	650.00	707.55	950.00	1049.19	1370.00	1240.18	1400.00	1409.27	(+)0.66	(+)13.63
5.	अन्य	312.00	285.64	311.00	318.71	378.00	397.54	487.00	419.84	475.00	463.00	(-)02.53	(+)10.28
6.	गैर-राजस्व	0.00	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	(-)50.00	0.00
	कुल	13174.00	13447.85	16961.00	16477.74	20128.00	19971.66	25157.00	23431.51	27075.00	25918.69		

(स्रोत: वित्त लेखे)

¹ ब.अ. : बजट अनुमान

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि स्टाम्प शुल्क एवं भू-राजस्व शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान की तुलना में क्रमशः 21.87 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक घट गई। स्टाम्प शुल्क शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ पूर्व वर्ष की अपेक्षा 4.16 प्रतिशत घट गई। राजस्व विभाग ने कहा (जनवरी 2015) कि राजस्व संग्रहण में कमी माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा कोर्ट फीस (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2012 को खत्म करने, आर्थिक मंदी, उच्च ब्याज दर, सम्पत्ति की बढ़ती कीमत एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिधीय क्षेत्र में किफायती सम्पत्ति के कारण था।

1.1.1.3 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान उत्थित गैर-कर राजस्व के विवरण तालिका 1.3 में दिये गए हैं:

तालिका 1.3
उत्थित गैर कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)													
क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2012-13 की अपेक्षा 2013-14 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	2013-14 के लिए ब.अ. की अपेक्षा वास्तविक	2012-13 की अपेक्षा 2013-14 की वास्तविक
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	3257.00	3236.62	3918.17	3869.84	369.81	174.14	473.54	340.03	754.50	379.35	(-)49.72	(+)11.56
2.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	55.80	67.93	57.50	71.95	78.00	92.93	91.00	95.60	115.00	91.04	(-)20.83	(-)4.77
3.	अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	101.82	107.87	188.00	183.71	116.66	107.97	123.66	101.50	111.42	88.65	(-)20.44	(-)12.66
4.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	23.66	24.65	26.50	36.28	41.00	47.56	44.24	54.32	65.00	63.05	(-)3.00	(+)16.07
5.	लोक निर्माण कार्य	11.00	14.99	15.50	15.64	20.00	26.15	23.10	25.55	20.00	18.59	(-)7.05	(-)27.24
6.	घोंवर	10.00	15.34	17.00	11.53	15.00	12.12	14.00	9.93	22.01	18.46	(-)16.13	(+)85.90
	कुल	3459.28	3467.40	4222.67	4188.95	640.47	460.87	769.54	626.93	1087.93	659.14		

(स्रोत: वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान की अपेक्षा 3 से 49.72 प्रतिशत के बीच घट गई। लोक निर्माण तथा अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ पूर्व वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 27.24 प्रतिशत तथा 12.66 प्रतिशत तक घट गई। वित्त विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014) कि उपरोक्त अन्तर बजट अनुमानों को अग्रिम में तैयार किये जाने तथा वित्तीय वर्ष में वास्तविक प्राप्ति सेवा प्राप्तकर्ताओं/ दी गई सेवाओं की संख्या पर आधारित होने के कारण था तथा गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ नियमित आय नहीं थी लेकिन उनके तहत संग्रहित विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं, जुर्माने तथा अन्य प्राप्तियों पर भारित होने के कारण थी।

1.1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2014 को राजस्व बकाया के कुछ मुख्य शीर्षों में ₹ 21,810.54 करोड़ की राशि के राजस्व बकाया थे, जैसाकि तालिका 1.4 में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.4
राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 तक बकाया कुल राशि	31 मार्च 2014 तक पाँच वर्षों से अधिक की बकाया राशि	टिप्पणी
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	21,797.10	अनुपलब्ध	विभाग द्वारा राजस्व के बकाया का कारण नहीं दिया गया।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता	13.44	2.79	अधिकतर मामलों में होटल का संचालन पट्टे पर दिया गया तथा पट्टेदार परिसर को छोड़ चुका था और दिए गए पते पर उसे नहीं पाया गया।
कुल		21,810.54	2.79	

(स्रोत: व्यापार एवं कर तथा राज्य उत्पाद, मनोरंजन एवं विलासिता विभाग)

1.1.3 कर निर्धारण में बकाया

व्यापार एवं कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा प्रेषित मामलों में वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामले, निर्धारण के लिए लंबित मामले, वर्ष के दौरान निपटाये गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने में लंबित मामलों की संख्या का विवरण निम्न तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5
कर निर्धारण में बकाया

राजस्व शीर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2013-14 के दौरान नये मामले जिनका कर निर्धारण किया जाना था	कुल लंबित निर्धारण	2013-14 वर्ष के दौरान निपटाये गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1,305	2,50,632	2,51,937	2,51,837	100	99.96
राज्य उत्पाद शुल्क	1,923	754	2,677	836	1,841	31.23

(स्रोत: व्यापार एवं कर तथा राज्य उत्पाद, मनोरंजन एवं विलासिता विभाग)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के निर्धारण मामलों के निपटान की प्रतिशतता 31.23 प्रतिशत तक निम्न हो गई।

1.1.4 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों के प्रत्युत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली (प्र.म.ले.) निर्धारित नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के रख-रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं, जिनका मौके पर निपटान न हो सके को, शामिल करते हुए निरीक्षण

प्रतिवेदन (नि.प्र.) के रूप में अनुवर्ती कार्रवाई होती है जो शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए आगे उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्ष को जारी की जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गई अभ्युक्तियों को कार्यालयों के अध्यक्ष/सरकार को शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन करने, त्रुटियों एवं अन्य गलतियों को सुधारने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन को प्राप्त करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर प्र.म.ले. को प्रारम्भिक जवाब के रूप में अनुपालना रिपोर्ट भेजनी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के अध्यक्ष तथा सरकार को भेजा जाता है।

दिसम्बर, 2013 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन दर्शाते हैं कि 663 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 12500 पैराग्राफों में शामिल ₹ 11,456.63 करोड़ जून 2014 के अंत तक बकाया है जैसा कि विगत दो वर्षों के आँकड़ों के साथ तालिका 1.6 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.6
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2012	जून 2013	जून 2014
निपटान हेतु लंबित नि. प्र. की संख्या	483	624	663
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	10,028	12,224	12,500
सम्मिलित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	8,938.03	11,054.77	11,456.63

1.1.4.1 नि.प्र. का विभागवार विवरण

30 जून 2014 को विभागवार नि.प्र. तथा बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा सम्मिलित धन राशि का उल्लेख तालिका 1.7 में किया गया है:

तालिका 1.7
विभागवार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	सम्मिलित धन राशि
1.	व्यापार एवं कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	527	11,911	11,329.22
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर इत्यादि	8	33	61.67
3.	परिवहन	मोटर वाहन पर कर	55	120	20.42
4.	राजस्व	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	73	436	45.32
कुल			663	12,500	11,456.63

लेखापरीक्षा को कार्यालय अध्यक्षों से 2013-14 के दौरान नि.प्र. की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किसी मामले में पहला जवाब भी प्राप्त नहीं हुआ। जवाब न मिलने के कारण इस बड़ी मात्रा में निरीक्षण प्रतिवेदनों का लंबित होना इस तथ्य को दर्शाता है कि कार्यालय अध्यक्ष एवं विभागों ने नि.प्र. में बताई गई त्रुटियों, भूलों व अनियमितताओं को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरन्त एवं उचित जवाब के लिए एक कारगर व्यवस्था हो इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए।

1.1.4.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति को तेज करने एवं मॉनिटर करने के लिए करती है।

मात्र एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक का आयोजन व्यापार एवं कर विभाग के साथ किया गया, तथापि, किन्हीं बकाया पैराग्राफों का निपटान नहीं हुआ।

सरकार को बकाया पैराओं के निपटान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

1.1.4.3 लेखापरीक्षा की संवीक्षा हेतु अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

कर राजस्व कार्यालय की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से पहले तैयार कर लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा प्रारम्भ होने से एक माह पूर्व विभाग को सूचित कर दिया जाता है ताकि विभाग लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए प्रासंगिक अभिलेखों को तैयार रख सके।

वर्ष 2013-14 के दौरान, 6469 निर्धारण फाईलों/मामलों में से 1464 फाइलें/मामले व्यापार एवं कर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए जो 23 प्रतिशत था तथा इन मामलों में सम्मिलित राजस्व का निश्चय नहीं किया जा सका।

1.1.4.4 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर विभागों के प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों को प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तथा उनसे यह आग्रह करते हुए अग्रेषित किया जाता है कि छः सप्ताह में अपना प्रत्युत्तर भेज दें। विभाग/सरकार से प्रत्युत्तरों की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रत्येक पैराग्राफ के अन्त में अवश्य दर्शाया जाता है।

सरकार/विभागों को अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के बीच तीन प्रारूप पैराग्राफ भेजे गए। सभी ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंध में विभाग का जवाब प्राप्त हो गया है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से समाविष्ट कर लिए गए हैं।

1.1.4.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई- संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति की आन्तरिक कार्यप्रणाली निर्धारित करती है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन विधान सभा में पेश होने के बाद, विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर कार्रवाई प्रारम्भ करेगा तथा उस पर की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण नोट प्रतिवेदन पेश करने के तीन माह के भीतर समिति के विचार हेतु सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद, मार्च 2010 से जुलाई 2014 के मध्य राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012 व 2013 को समाप्त वर्षों के लिए रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल 60 पैराग्राफों तथा आठ निष्पादन लेखापरीक्षाओं में प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर स्पष्टीकरण नोट में असामान्य विलम्ब हो रहा था। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में इन पैराग्राफों पर संबंधित विभाग से की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण नोट छः माह की औसत देरी से प्राप्त हुआ। 37 पैराग्राफों तथा चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि.ले.प.) के संबंध में की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण नोट विभाग से 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012 एवं 2013 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए प्राप्त नहीं हुए, जैसाकि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

लोक लेखा समिति ने 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) से संबंधित पैराग्राफों पर चर्चा नहीं की।

तालिका 1.8

क्र.सं.	31 मार्च को समाप्त प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में छपे पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिसके लिए एटीएन प्रतीक्षित थे
1	2009	13+2 (नि.ले.प.)	9+2 (नि.ले.प.)
2	2010	17+1 (नि.ले.प.)	13+0 (नि.ले.प.)
3	2011	12+3 (नि.ले.प.)	10+1 (नि.ले.प.)
4	2012	16+1 (नि.ले.प.)	3+0 (नि.ले.प.)
5	2013	2+1 (नि.ले.प.)	2+1 (नि.ले.प.)

1.1.5 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं स्वीकृत मामलों में धनराशि की वसूली की स्थिति

व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, राजस्व एवं परिवहन विभागों के पिछले 10 वर्षों की स्वीकृत मामलों में धनराशियों की वसूली एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति पैराग्राफ 1.1.5.1 तथा 1.1.5.2 में दिए गए हैं:

1.1.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले दस वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांशीकृत स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों तथा 31 मार्च 2014 को उनकी स्थिति को तालिका 1.9 में सारणीबद्ध किया है:

तालिका 1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	(₹ करोड़ में)											
		आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निकासी			वर्ष के दौरान अन्त शेष		
		नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्र.	पैराग्राफ	धनराशि
1.	2004-05	1145	10821	1127.42	93	1436	306.27	668	7468	404.91	570	4789	1028.78
2.	2005-06	570	4789	1028.78	81	1377	399.89	227	1916	174.95	424	4250	1253.72
3.	2006-07	424	4250	1253.72	64	880	320.51	265	2548	543.25	223	2582	1030.98
4.	2007-08	223	2582	1030.98	62	1329	1077.42	79	1266	349.89	206	2645	1758.51
5.	2008-09	206	2645	1758.51	89	2265	1748.24	6	429	413.39	289	4481	3093.36
6.	2009-10	289	4481	3093.36	108	2972	2900.71	11	301	218.47	386	7152	5775.60
7.	2010-11	386	7152	5775.60	54	2009	1831.89	85	564	434.09	355	8597	7173.40
8.	2011-12	355	8597	7173.40	96	2204	3079.27	24	657	394.02	427	10144	9858.65
9.	2012-13	427	10144	9858.65	104	1610	1209.64	62	520	571.99	469	11234	10496.31
10.	2013-14	469	11234	10496.31	92	790	1099.45	3	83	---	558	11941	11595.76

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2004-05 के प्रारंभ में ₹ 1,127.42 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों के सम्बन्ध में 10,821 पैराओं के विभाग के प्रत्युत्तर प्रतीक्षित थे, लेकिन 2013-14 के अंत तक पैराओं की संख्या बढ़कर 11,941 हो गई जिसमें ₹ 11595.76 करोड़ की धनराशि शामिल थी। यह इस तथ्य का संकेतक है कि विभाग ने बकाया पैराओं का निपटान करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

1.1.5.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत पैराग्राफ तथा वसूली की गई धनराशि को तालिका 1.10 में दर्शाया है।

तालिका 1.10

(₹ करोड़ में)						
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की धनराशि	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या जिसमें धनराशि शामिल है	स्वीकृत धनराशि	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	31 मार्च 2014 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2003-04	23	410.05	15	121 .72	—	—
2004-05	27	402.36	12	200 .31	—	0.10
2005-06	20	177.85	13	18 .44	—	0.06
2006-07	16	254.93	13	209 .06	—	0.27
2007-08	11	945.52	7	28 .17	—	0.18
2008-09	15	1729.62	7	109 .00	—	0.14
2009-10	18	1764.20	5	49 .36	—	0.39
2010-11	15	1479.98	4	58 .00	—	0.06
2011-12	17	2363.11	1	19 .14	—	1.23
2012-13	3	536.00	3	70 .16	—	—

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान पूर्ण रूप से वसूली की प्रगति स्वीकृत मामलों में भी सर्वत्र नगण्य थी। संबंधित पार्टियों से वसूली योग्य बकाया के रूप में स्वीकृत मामलों की वसूली का अनुसरण किया जाना था। स्वीकृत मामलों के अनुसरण के लिए विभाग/सरकार द्वारा कोई कार्यप्रणाली नहीं बनाई गई। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों सहित बकाया के मामले व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद, राजस्व तथा परिवहन विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। उपयुक्त कार्यप्रणाली के अभाव में, विभाग स्वीकृत मामलों की वसूली को मॉनीटर नहीं कर सके।

विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों में सम्मिलित बकाया राशि की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

1.1.6 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा संचालित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभागों/सरकार को उनकी सूचना के लिए जवाब भेजे जाने के निवेदन सहित अग्रेषित किया जाता है। इन निष्पादन समीक्षाओं पर समाप्ति सम्मेलन में भी विचार किए जाते हैं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय विभागों/सरकार के विचारों को सम्मिलित किया जाता है।

आठ निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) की गई तथा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई। लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा में 30 सिफारिशों की। संबंधित विभागों ने अपना प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं किया है।

1.1.7 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा की विगत प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमाणों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर

तैयार की जाती है जिसमें अन्य बातों के अलावा सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के आलोचनात्मक मामले जैसे बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के घटक, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव इत्यादि शामिल है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, लेखापरीक्षा योग्य 150 इकाईयाँ थी, जिनमें से 89 इकाईयों की योजना की गई तथा 80 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा करने वाले स्टाफ के दिल्ली के विधान सभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण, 9 योजनागत इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

1.1.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.1.8.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान वैट/बिक्री कर तथा मोटर वाहन कर से संबंधित 80 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 2001 मामलों में ₹ 905.66 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसाकि तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11
श्रेणीवार अनियमितताएँ

(₹ करोड़ में)			
क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों/पैराओं की संख्या	राशि
बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर			
1	निर्माण ठेका पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण	1	98.26
2	अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर की अदेय रियायती दर की अनुमति के कारण राजस्व की हानि	1	0.13
3	अन्य अनियमितताएँ	1045	794.25
कुल		1047	892.64
स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क			
1	स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण	180	0.17
2	अन्य अनियमितताएँ	740	9.66
कुल		920	9.83
मोटर वाहन कर			
1	मोटर वाहन विभाग में संविदा प्रबंधन	1	3.19
2	अन्य अनियमितताएँ	33	—
कुल		34	3.19
कुल योग		2001	905.66

वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने ₹ 20.83 करोड़ का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया जिन्हें 2013-14 लेखापरीक्षा के दौरान बताया गया था।

1.1.8.2 आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

कर संग्रहण हेतु उत्तरदायी प्रत्येक विभाग द्वारा कर की गैर/कम संग्रहण या चोरी से पर्याप्त सुरक्षा हेतु इसके दक्ष व लागत प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण की संस्थापना अपेक्षित है।

व्यापार व कर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ ने अक्टूबर 2014 तक 2009-13 हेतु न कोई योजना बनाई, न ही कोई लेखापरीक्षा आयोजित की थी। इसके अतिरिक्त विभाग ने रा.रा.क्षे. दि.स. के वित्त विभाग के अंतर्गत लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। परिवहन विभाग (मुख्या.) की आंतरिक लेखापरीक्षा 2012-13 तक की गई तथा राजस्व विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष 2013-14 की नहीं की गई।

1.1.9 राजस्व अध्याय की विषय वस्तु

इस अध्याय में तीन पैराग्राफ हैं जिसमें ₹ 98.39 करोड़ के राजस्व के परिणाम शामिल है। संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों जिसमें ₹ 20.83 करोड़ शामिल है, को स्वीकार किया है, जिसमें से कोई धनराशि वसूल नहीं हुई। विभागों का जवाब प्राप्त हुआ है (मार्च 2015) तथा उपयुक्त रूप से समाविष्ट कर लिया गया है। इनकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

लेन-देन की लेखापरीक्षा

व्यापार एवं कर विभाग

1.2 'वर्क्स कन्ट्रैक्ट पर कर के निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रहण' की लेखापरीक्षा

अपंजीकृत वर्क्स कंट्रैक्टर्स, बिक्री को दबाने, रिटर्न को जमा न करने, टी डी एस की गैर कटौती, तथा 55 मामलों में बिक्री के कम निर्धारण के मामलों की छानबीन के लिए अंतर-विभागीय प्रति-सत्यापन की प्रणाली प्रतिष्ठापित करने में डीटीटी की असफलता के कारण ब्याज एवं जुर्माना सहित ₹ 98.26 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मई से दिसम्बर 2014 के दौरान वर्ष 2009-13 की अवधि के लिए व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी) की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई कि क्या डीटीटी ठीक तरीके से कार्य कर रहा है, उसके पास वर्क्स कन्ट्रैक्ट पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए कोई उचित व्यवस्था है। लेखापरीक्षा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग के स्पेशल जोन के अभिलेखों की जाँच की गई। निर्धारित 634 मामलों में से लेखापरीक्षा में 2009-13 के दौरान निर्धारित किए गए वर्क्स कन्ट्रैक्ट के 321 (50 प्रतिशत) मामले जिसमें ₹ 5301.24 करोड़ का टर्नओवर शामिल था, यादृच्छिक रूप से चुने गए। डीटीटी ने चुने गए मामलों में से केवल 38 मामले (11.83 प्रतिशत) जिसमें ₹ 307.21 करोड़ की बिक्री शामिल थी, लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है:

1.2.1 प्रणाली में कमियाँ

डाटाबेस का नियमित एवं व्यवस्थित अन्तर-विभागीय प्रति सत्यापन, अपंजीकृत वर्क्स कंट्रैक्टर्स, टर्नओवर को छिपाने, कर आधार का विस्तार इत्यादि का पता लगाने में सहायता कर सकता है। तथापि, विभाग में विद्यमान व्यवस्था में वर्क्स कन्ट्रैक्ट पर कर के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए कमियों को निम्नलिखित उप-पैराग्राफों में बताया गया है।

1.2.1.1 वर्क्स कंट्रैक्टर्स के ब्यौरे के प्रति-सत्यापन के लिये कार्यप्रणाली का अभाव

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित, राज्य वित्त मंत्री के सशक्त समिति द्वारा श्वेत-पत्र जो 17 जनवरी 2005 को जारी किया गया, में कर विवरणियों के प्रति-सत्यापन करने तथा राज्यों एवं उनके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर की वैट व्यवस्था के अन्य दस्तावेजों के महत्व पर जोर दिया गया ताकि कर के अपवचन को कम एवं कर राजस्व की वृद्धि में सहायता हो सके। तथापि, विभाग उन कंट्रैक्टर्स जो संघ एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों और उद्यमों में पंजीकृत/कार्यरत हैं उनके डाटाबेस का विभाग में पंजीकृत व्यापारियों, विभाग में अपंजीकृत व्यापारियों के मामलों का पता लगाने के लिए डाटा के प्रति-सत्यापन की व्यवस्था को प्रतिष्ठापित तथा उसका उपयोग नहीं किया।

आगे, विभाग ने ऐसे डीलरों की पहचान करने के लिए सर्वे कराने हेतु निर्देश (जनवरी 2006) जारी किये जो व्यापारी पंजीकृत नहीं थे यद्यपि, वे डीवैट अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने के योग्य हो चुके थे। तथापि, विभाग ने किए गए सर्वे के परिणामस्वरूप पता लगाए गए अपंजीकृत डीलरों/वर्क्स कंट्रैक्टर्स के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया।

इस प्रकार, वर्क्स कंट्रैक्टर्स का पता लगाने एवं पंजीकरण के लिए अन्तर्राज्यीय प्रति-सत्यापन की व्यवस्था को प्रतिष्ठापित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप राज्य को राजस्व की

हानि हुई जिसे डाटा के अभाव में निर्धारित करना असंभव था। लेखापरीक्षा ने, तथापि, विभाग के अभिलेखों के अन्य विभागों के साथ प्रति-सत्यापन पर कंट्रैक्टर्स के गैर-पंजीकरण के छः मामलों, टर्नओवर के कम दर्शाए जाने के 29 मामलों तथा ठेकेदारों द्वारा टर्नओवर के छिपाए जाने के चार मामलों का पता लगाया जिसकी चर्चा नीचे के उप-पैराग्राफों में की गई है।

विभाग ने अपने जवाब (मार्च 2015) में कहा कि इन विभागों में उपलब्ध डाटाबेस के उपयोग के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

(i) वर्क्स कंट्रैक्टर्स के गैर-पंजीकरण के कारण राजस्व की हानि ₹9.26 करोड़

डीवैट अधिनियम की धारा 86 (12) के अन्तर्गत डीटीटी से अपने फर्म का पंजीकरण कराने एवं लागू कर का भुगतान करने में वर्क्स कंट्रैक्टर्स की विफलता के कारण निर्धारित दर से भुगतान नहीं किए गए कर की राशि पर जुर्माना एवं ब्याज देय होता है।

लेखापरीक्षा ने प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) एवं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से प्राप्त आँकड़े एवं सूचना के आधार पर विभाग के अभिलेखों का प्रति-सत्यापन किया तथा पाया कि छः² वर्क्स कंट्रैक्टर्स ने 2009-13 की अवधि के दौरान पीपीसीएल एवं डीएमआरसी के साथ कुल ₹ 40.57 करोड़ के वर्क्स कंट्रैक्ट कार्यान्वित किए। तथापि, इन छः कंट्रैक्टर्स में से कोई भी डीटीटी से पंजीकृत नहीं था और इस कारण, उस अवधि में किए गए वर्क्स कंट्रैक्ट पर उनके कर की देयता का निर्धारण नहीं हुआ। यदि वे पंजीकृत होते तो उनकी बिक्री पर कर का निर्धारण एवं उद्ग्रहण से विभाग को ₹ 3.77 करोड़ के अतिरिक्त कर राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी। इस प्रकार, विभाग में वर्क्स कंट्रैक्टर्स के पंजीकरण की व्यवस्था उस सीमा तक अपूर्ण थी कि यह गैर पंजीकृत कंट्रैक्टर्स का पता लगाने में विफल रहा और परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई, जो इन छः मामलों में ब्याज एवं जुर्माना सहित ₹ 9.26 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार करते समय विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि अपंजीकृत व्यापारियों को निर्माण ठेका कर की परिधि में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) बिक्री को दबाने एवं रिटर्न फाईल न करने के कारण राजस्व की हानि

अधिनियम की धारा 32 प्रावधान करती है कि, यदि आयुक्त संतुष्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के तहत किसी अवधि का कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया है, अपने को पंजीकृत कराने में चुक गया है अथवा कर का कम भुगतान किया है, आयुक्त लिखित में कारण दर्ज करते हुए, ऐसी कर अवधि एवं आगामी सभी कर अवधि के लिए अपने पूर्ण ज्ञान से बकाया निवल कर राशि का निर्धारण कर सकता है। कंट्रैक्टर द्वारा कर की राशि में कमी के लिए धारा 42(2) एवं 86(10) (बी) के अंतर्गत क्रमशः ब्याज तथा जुर्माना भी उद्ग्रहणीय हैं।

(ए) लेखापरीक्षा ने डीएसआईआईडीसी, एनबीसीसी, पीपीसीएल, डीजेबी एवं डीडीए से संग्रह किए गए अभिलेखों/आँकड़ों का रिटर्न (डीवैट 16 एवं 17), टीडीएस प्रमाण-पत्र (डीवैट 43) तथा वार्षिक लेखे के साथ प्रति-सत्यापन किया। प्रति-सत्यापन में देखा गया कि 22 वर्क्स कंट्रैक्टर्स के 29 मामलों में सूचना को दबाने अथवा असत्य सूचना के कारण, जिसको ठेकेदारों ने अपनी विवरणियों में दर्शाया, विभाग ने 2009-13 के दौरान वर्क्स कंट्रैक्टर्स के टर्नओवर का कम निर्धारण किया। विभागीय अभिलेखों के अनुसार, विभाग ने इन 29 मामलों में कुल टर्नओवर ₹ 208.65 करोड़ का निर्धारण किया, जबकि, अभिलेखों के प्रति-सत्यापन के आधार पर यह ₹ 415.73 करोड़

² पीपीसीएल के चार कंट्रैक्टर तथा डीएमआरसी के दो कंट्रैक्टर

होना चाहिए। इसने यह दर्शाया कि विभाग के पास ठेकेदारों द्वारा अपने रिटर्नों में दर्शाये गए टर्नओवर की सत्यता का सत्यापन अथवा प्रति-सत्यापन के लिए स्वयं कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी। व्यवस्था में कमी से वर्क्स कंट्रैक्टर्स को टर्नओवर कम करके दिखाने तथा छुपाने से कर का अपवंचन करने का अवसर मिल जाता है। इन 29 मामलों में, ₹ 207.08 करोड़ का टर्नओवर कम करके दिखाया गया तथा परिणामस्वरूप ब्याज एवं जुर्माना सहित ₹ 52.29 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित करने पर विभाग ने बताया (मार्च 2015) कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ व्यापारियों ने उनकी टर्नओवर को विशेष माह में उत्थित बिलों के आधार पर दिखाया था लेकिन भुगतान तथा टीडीएस प्रमाण-पत्र को छः माह के बाद प्राप्त किया था। इस प्रकार, टीडीएस प्रमाण पत्र की प्राप्ति का टर्नओवर से सह संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है तथा लेखापरीक्षा द्वारा बनाई गई अभ्युक्तियों, उद्योग में स्वीकृत वास्तविक अभ्यास पर आधारित नहीं हैं।

विभाग का उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति राज्य सरकार के विभागों द्वारा ठेकेदारों को दिए गए वास्तविक भुगतान की सूचना के आधार पर बनाई गई। इसके साथ ही टीडीएस प्रमाण-पत्र के अनुसार ठेकेदारों को दी गई राशि को वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी सकल कुल बिक्री (स.कु.बि.) में शामिल किया जाना था।

(बी) विभाग के ऑनलाइन डाटाबेस से ठेकेदारों को किए गए भुगतानों के संबंध में अन्य विभागों से एकत्रित सूचना के प्रति-सत्यापन ने दर्शाया कि नौ ठेकेदारों ने यद्यपि उनके द्वारा निष्पादित निर्माण ठेकों के लिए भुगतान प्राप्त किए, अपनी रिटर्नस फाईल नहीं की जिसके कारण उनकी ₹ 47.01 करोड़ की टर्नओवर छिप गई। जैसाकि विभाग में ठेके करने वाले की रिटर्नस (डीवैट-48) का ठेकेदारों की रिटर्नस (डीवैट-16 तथा 17) के साथ प्रति-सत्यापन करने, ठेकेदारों द्वारा रिटर्नस की गैर-प्रस्तुति के मामलों, कर निर्धारण की प्रक्रिया में बच गए नौ ठेकेदारों का पता लगाने के लिए कोई पद्धति नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप ब्याज तथा जुर्माने सहित ₹ 11.44 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2015) में कहा कि कार्यप्रणाली विकसित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये विभाग उपलब्ध डाटाबेस को लाभकारी ढंग से उपयोग में ला सके। उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है।

(iii) विभाग में उपलब्ध आँकड़ों का रिटर्नों के ब्यौरे के साथ बगैर प्रति-सत्यापन किए हुए कर का निर्धारण

अधिनियम की धारा 36 ए (11) के अंतर्गत, स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी, प्रत्येक व्यक्ति (संविदाकर्ता) को वर्ष (तिमाही) की समाप्ति से 28 दिनों की अवधि के भीतर एक टीडीएस रिटर्न (फॉर्म डीवैट 48) सालाना (अप्रैल 2012 से तिमाही) जिसमें ठेकेदारों को किए गए भुगतान में से स्रोत पर कर की कटौती की गई है, देनी अपेक्षित होती है। रिटर्न में, कार्यरत वर्क्स कंट्रैक्टर्स का विवरण, उनके संविदा का कुल मूल्य, वर्ष के दौरान उनको किए गए भुगतान की रकम इत्यादि शामिल होना चाहिए। धारा 42 (2) एवं 86 (10) (बी) के अंतर्गत, ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए कर की रकम में कमी के लिए क्रमशः ब्याज और जुर्माना उद्ग्रहणीय है।

लेखापरीक्षा ने यह अवलोकन किया कि विभाग में ऐसी व्यवस्था विद्यमान नहीं है जहाँ संविदाकर्ता द्वारा जमा की गई रिटर्नों में उपलब्ध सूचना का टर्नओवर, टीडीएस इत्यादि की सत्यता, जैसा कि ठेकेदारों द्वारा अपनी रिटर्नों (फॉर्म डीवैट 16 या डीवैट 17) में दर्शाया गया, उपयोग प्रति-सत्यापन के लिए किया जाता है। इस तरह के प्रति-सत्यापन से टर्नओवर को छिपाने, टीडीएस का अधिक

दावा करने जैसे मामलों का पता लगाया जा सकता है तथा उन वर्क्स कंट्रैक्टर्स जो अपने को विभाग से पंजीकृत नहीं कराता है, खोजा जा सकता है। तथापि, विभाग के पास मौजूद ठेकेदारों के रिटर्नों से संविदाकर्ता के रिटर्नों का प्रति-सत्यापन करने के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने ठेकेदारों द्वारा छिपाए गए टर्नओवर के मामलों का पता लगाया। 2009-13 की अवधि के दौरान, चार ठेकेदारों ने अपनी ₹ 10.35 लाख का कुल टर्नओवर को दर्शाते हुए रिटर्न जमा कराए। तथापि, इन ठेकेदारों के संबंध में संविदाकर्ता द्वारा जमा कराए गए टीडीएस रिटर्न (डीवैट 48) में ₹ 12.44 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया। इसके परिणामस्वरूप, ब्याज और जुर्माना सहित ₹ 3.28 करोड़ के कर का गैर उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने अपने जवाब (मार्च 2015) में कहा कि वर्क्स कंट्रैक्ट में वैट की हानि को रोकने के लिए इसने एक मॉड्यूल विकसित किया है जिससे सभी संविदाकारों के लिए ऑनलाईन टीडीएस रिटर्न (डीवैट-48) फाईल करना आवश्यक हो जाएगा तथा सरकारी खाते में टीडीएस ऑनलाईन जमा होने के पश्चात् इसका ऑनलाईन प्रमाण-पत्र (डीवैट-43) जारी होगा।

जवाब पहले किए गए कर के गैर-उद्ग्रहण एवं उसकी वसूली की उपरोक्त बताई अभ्युक्ति के संबंध में मौन है।

1.2.1.2 टीडीएस की गैर-कटौती

डीवैट अधिनियम की धारा 36 ए (1) के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार (हि.अ.प.) का न हो जो निर्माण ठेके के अनुरूप वस्तुओं में सम्पत्ति के स्थानांतरण हेतु विचारणीय मूल्य अदा करने के कारण किसी दायित्व के निवर्हन के लिए किसी व्यापारी को बीस हजार रुपये से अधिक मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ठेकेदार के खाते में ऐसी राशि को जमा करने के समय अथवा इसकी नकद या किसी अन्य तरीके से भुगतान करते समय, जो पहले हो, उस पर निर्धारित दर से कर की कटौती करायेगा।

मैसर्स पीपीसीएल से संग्रहित सूचना ने दर्शाया कि वर्क्स कंट्रैक्ट का कार्य कराया गया तथा 2009-14 की अवधि के दौरान 13 ठेकेदारों को ₹ 21.51 करोड़ का भुगतान बिना टीडीएस की कटौती के कर दिया गया। आगे यह देखा गया कि पीपीसीएल टीडीएस की कटौती एवं जमा करने की विवरण वाली डीवैट 48 रिटर्न फाईल नहीं कर रहा था तथा विभाग ने भी संविदाकर्ता पर टीडीएस की कटौती न किए जाने पर अधिनियम का प्रावधान लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 0.42 करोड़ के राजस्व की हानि के अलावा जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि इसने विभिन्न विभागों को डीवैट-36ए के प्रावधानों के संबंध में बताने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है। विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि पीपीसीएल एक पंजीकृत संविदाकर्ता है और विभाग को डीवैट-48 के फाईल न करने पर जुर्माना लगाना चाहिए था।

1.2.2 अनुपालना की कमियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, नियमों अधिसूचनाओं, अनुदेशों आदि की गैर-अनुपालना के मामले पाए गए जिन पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

1.2.2.1 कटौती की अनियमित छूट

अधिनियम की धारा 5 (2) तथा डीवैट नियमावली के नियम 3 के अनुसार, निर्माण संविदा के निष्पादन से उत्पन्न टर्नओवर के मामले में कर योग्य टर्नओवर को दर्शाने वाली राशि में श्रम तथा

सेवाओं आदि के प्रति प्रभार शामिल नहीं होंगे, यदि आयुक्त के संतोष हेतु व्यापारी द्वारा श्रम तथा सेवाओं आदि के प्रति प्रभारों के भुगतान को प्रमाणित करने वाले उपयुक्त अभिलेख रखे गये हैं। यदि व्यापारी के लेखाओं से श्रम तथा सेवाओं की राशि का पता नहीं चल रहा है, तो स.कु.बि. के निर्धारित 25 प्रतिशत की दर से, यदि सिविल निर्माण ठेका है, कटौती की जानी चाहिए।

(ए) लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 2009-14 की अवधि के चार मामलों में निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) ने विशेषकर उन मामलों में जहाँ अनुमत छूट निर्धारित दर की अपेक्षा अधिक थी, पर्याप्त कारण दिए बिना ₹ 337.12 करोड़ के स.कु.बि. से ₹ 311.76 करोड़ के श्रम एवं सेवाओं के कारण 28 प्रतिशत से 98 प्रतिशत की रेंज में छूट की अनुमति दी। मैसर्स गैमन-कॉस्ट्रूटोरा सिडेड-टेनसैकैड-जे.वी. दिल्ली के एक मामले में स.कु.बि. के 98 प्रतिशत का दावा किया गया था और किसी आधार का उल्लेख किए बिना श्रम एवं सेवाओं के रूप में छूट दी गई। वर्ष 2010-14 के लिए निर्धारिती का स.कु.बि. ₹ 298.57 करोड़ था तथा जून 2005 के डीवैट विभाग के परिपत्र सं. 9 के अनुसार ₹ पाँच करोड़ से अधिक स.कु.बि. के निर्धारिती का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जाना था फिर भी वर्ष 2010-14 के लिए गैमन-कॉस्ट्रूटोरा सिडेड-टेनसैकैड-जे.वी. दिल्ली के मामले में कोई निर्धारण नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि ऐसे उदाहरणों में अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात संवीक्षा के दौरान निर्धारण प्राधिकारी ने ठेकेदार द्वारा दावित कटौती की अनुमति दी तथा अधिकतर मामलों में दस्तावेज जाँच के बाद वापिस किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वहाँ निर्धारण आदेश में कोई उल्लेख नहीं था जिसके आधार पर श्रम घटक की 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक की अनुमति दी गई।

(बी) एक अन्य मामले में, ठेकेदार ने वर्ष 2009-11 के लिए अंतर्राज्यीय खरीद के कारण टर्नओवर पर ₹ 6.64 करोड़ की छूट का दावा किया जिसके लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने दावे को स्वीकार किया तथा छूट प्रदान की जो अनियमित था तथा इसके परिणामस्वरूप ब्याज एवं जुर्माना सहित ₹ 2.14 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 3 एवं 4 के अनुसार संविदा समझौते में संविदा की शर्तों की जाँच के बाद अंतर्राज्यीय खरीद के कारण टर्नओवर पर छूट की अनुमति दी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो लेखापरीक्षा को समझौते की प्रति प्रेषित की गई न ही निर्धारण आदेश में यह दर्शाया गया जिस आधार पर छूट दी गई।

1.2.2.2 टर्नओवर का कम निर्धारण

लेखापरीक्षा ने वार्ड 107 के निर्धारण अभिलेख में देखा (मई 2014 से दिसम्बर 2014 तक) कि वर्ष 2009-10 के लिए ठेकेदार के निर्धारण (मई 2014) को अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) ने सामग्री के वास्ते जिसका बिल सीधे संविदाकर्ता द्वारा ठेकेदार के लिए बनाया गया था, स.कु.बि. से ₹ 57.27 करोड़ की कटौती को स्वीकार कर लिया। ऐसी स्वीकृत कटौती अनियमित थी क्योंकि संविदाकर्ता द्वारा ठेकेदार को सामग्री की आपूर्ति किया जाना बिक्री के समान था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.16 करोड़ के कर का कम निर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 5.11 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 7.16 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2015) में कहा कि कई उदाहरणों में व्यापारियों ने अपने टर्नओवर किसी विशेष माह में उत्थित बिलों के आधार पर दिखाए हैं किन्तु भुगतान तथा टीडीएस

प्रमाण-पत्र छः माह के बाद प्राप्त किए हैं। अतः, टीडीएस प्रमाण-पत्र की रसीद को टर्नओवर से संबंधित नहीं किया जा सकता और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ उद्योग में अपनाए गए वास्तविक व्यवहार पर आधारित नहीं हैं।

विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संविदाकर्ता की सीधे बिल की गई सामग्री के कारण सकल कुल बिक्री (स.कु.बि.) से अनुमत्य कटौती के आधार पर बनाई थी।

1.2.3 अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

भारत के नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 18 अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में लेखापरीक्षित विभाग द्वारा सभी तरह का सहयोग करने का प्रावधान करता है। यह आगे भी प्रावधान करती है कि किसी भी कार्यालय अथवा विभाग, जिसके लेखाओं का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा की जानी है, का प्रभारी व्यक्ति ऐसे निरीक्षण हेतु सभी सुविधाएँ प्रदान करेगा तथा सूचना हेतु अनुरोधों की जहाँ तक संभव हो तथा यथोचित शीघ्रता से पूर्ण प्रारूप में अनुपालना करेगा।

विभाग ने व्यापारी की प्रोफाईल/रिटर्न को देखने तथा प्रति निकालने हेतु अपने ऑनलाईन डाटाबेस तक पहुँचने में सहायता प्रदान की। तथापि, अन्य विभागों में ऑनलाईन डाटाबेस में वह ब्यौरे नहीं हैं जो निर्धारिती द्वारा या तो निर्धारण प्रक्रिया के दौरान या फिर रिटर्नों की हार्ड प्रति के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में शामिल थे। केवल ऑनलाईन डाटाबेस पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, तथा जो बहुत सीमित हैं, लेखापरीक्षा पूर्ण आश्वस्त नहीं हो सकी। विभाग ने उच्च प्राधिकारियों के साथ छः बैठकों तथा बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद भी ₹ 5301.24 करोड़ की टर्नओवर वाली चयनित 321 फाईलों में से 38 फाइलें प्रदान की जिसमें ₹ 307.21 करोड़ की टर्नओवर तथा ₹ 12.34 करोड़ के कर का भुगतान शामिल था।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई 321 फाईलों में से 165 निर्धारण मामले ऑनलाईन किए गए थे, 21 नहीं किए गए थे, 47 अन्य वार्डों से संबंधित थे तथा शेष 88 मामलों में से 44 लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए। आगे यह कहा गया कि 230 मामले लेखापरीक्षा को या तो सिस्टम द्वारा या मैनुअली उपलब्ध कराए गए। विभाग ने आगे कहा कि यह मैनुअल प्रचालन से आँकड़ीकरण में पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया में है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 321 निर्धारण मामले विभाग द्वारा दी गई सूची से ही चयनित किए गए। 230 मामलों में से 38 फाइलें उपलब्ध कराई गई तथा शेष मामलों में केवल सीमित ऑनलाईन पहुँच दी गई जिस पर लेखापरीक्षा केवल व्यापारी का वर्णन/रिटर्न ही देख सका और आवश्यक दस्तावेज³ ऑनलाईन डाटाबेस में उपलब्ध नहीं कराए गए। इन दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा के लिए किसी नतीजे पर पहुँचना संभव नहीं था।

1.2.4 आंतरिक नियंत्रण

कर संग्रहण हेतु उत्तरदायी प्रत्येक विभाग को करों के गैर-कम संग्रहण अथवा अपवंचन के प्रति पर्याप्त सुरक्षा के लिए दक्ष तथा लागत प्रभावी कार्यप्रणाली हेतु उपयुक्त आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करना अपेक्षित है। विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र कारगर नहीं थी क्योंकि लेखापरीक्षा

³ डीवेट प्रपत्र-43, 48 व 51, संविदा के खाते तथा समझौते की प्रतियाँ

ठेकेदारों के कार्य के ब्यौरे का प्रति-सत्यापन, पंजीकृत व्यापारियों (पैरा 2.3.1.1) द्वारा रिटर्न फाईल न करने तथा प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली (पैरा 2.3.4(ii)) से संबंधित अभ्युक्तियों को इंगित कर चुका था।

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा

वैट अधिकृत समिति के 'श्वेत पत्र' के पैराग्राफ 2.13 के अनुसार, विभागीय लेखापरीक्षा को स्वयं निर्धारण की सत्यता की जाँच करनी चाहिए जिसके लिए व्यापारियों की निश्चित प्रतिशतता को वैज्ञानिक आधार पर प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा हेतु लिया जाना चाहिए। विभाग में संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा) के कार्यप्रभार के अंतर्गत एक आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष (आईएसी) है। तथापि, आईएसी ने 2009-13 के दौरान न तो कोई योजना तैयार की और न ही कोई लेखापरीक्षा की थी। रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग के अंतर्गत लेखापरीक्षा निदेशालय रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी विभागों तथा कार्यालयों की लेखापरीक्षा करता है। विभाग ने लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के संबंध में सूचना नहीं दी थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि आईएसी को मजबूत किया जा रहा है।

(ii) प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग में अतिरिक्त आयुक्त (प्रवर्तन) की अध्यक्षता में एक प्रवर्तन शाखा (प्र.शा.) है जो दिल्ली में डीलरों के सर्वेक्षण, खोज तथा कुर्की द्वारा कर की चोरी का पता लगाता है। ई.बी. द्वारा प्रदत्त सूचना ने दर्शाया कि विभाग के पास खोज या सर्वेक्षण हेतु चयनित किए जाने वाले डीलरों का कोई वार्डवार निश्चित लक्ष्य नहीं था। 2009-13 की अवधि के दौरान मात्र सात प्रवर्तन गतिविधियाँ अर्थात् खोज/सर्वेक्षण की गईं। इसके अतिरिक्त 2009-13 के दौरान की गई खोज व सर्वेक्षण का कोई अभिलेख विशेषतः निर्माण ठेकेदारों के मामले से संबंधित विशेष जोन के पास उपलब्ध नहीं थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि प्रवर्तन शाखा ने वर्ष 2013-14 के दौरान 1508 सर्वेक्षण किए और डीलरों द्वारा स्वेच्छा से ₹ 14351.57 लाख जमा कराए गए हैं। इन मामलों का आगे भी निर्धारण किया गया है और वसूली हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया है।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विभाग ने केवल वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है, जबकि अभ्युक्तियाँ 2009-13 से संबंधित थीं। विभाग विशेष जोन से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों पर मौन है।

सरकार को उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना दी गई (जनवरी 2015) निदेशक (वित्त) ने अपने जवाब (मार्च 2015) में कहा कि सभी कर निर्धारण प्राधिकारियों को तीन दिनों के भीतर जवाब भेजने का निर्देश जारी कर दिया गया है। विभाग से जवाब प्राप्त किए गए तथा उपयुक्त रूप से समाविष्ट कर दिया गया।

1.3 अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर की अस्वीकार्य रियायती दर की अनुमति के कारण राजस्व की हानि

‘सी’ प्रपत्रों की डुप्लीकेट प्रति की स्वीकृति, जिसमें विक्रेता व्यापारी का नाम, राशि, संख्या तथा बिल की तिथि में ओवर-राइटिंग थी, के परिणामस्वरूप ₹ 91.59 लाख का अस्वीकार्य दावा किया गया जिससे ₹ 9.62 लाख के कर की कम प्राप्ति शामिल थी।

अधिनियम की धारा 8 (4) यह अनुबंध करती है कि धारा 8 (1) का प्रावधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक व्यापारी माल को न बेचे तथा निर्धारण प्राधिकारी को निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रारूप में निर्धारित विवरण के साथ शामिल हों, पंजीकृत व्यापारी द्वारा जिसको माल बेचा गया है, हस्ताक्षर सहित निर्धारित प्रारूप में घोषणा-पत्र प्रस्तुत न कर दे। इसके अतिरिक्त, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. बनाम केरल राज्य (2011) के मामले में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रपत्र को दोषपूर्ण माना जाना चाहिए यदि प्रपत्रों के विवरणों को काटा, मिटाया या बदला गया हो और ये कमियाँ मात्र क्रेता के पुष्टि पत्र से दूर नहीं की जा सकती है, तथा इन्हें क्रेता द्वारा प्रपत्र पर ही सत्यापन और जारीकर्ता राज्य के निर्धारण प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के द्वारा दूर किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा फरवरी 2014 से मई 2014 के बीच वार्ड 204 के अभिलेख की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2010-11 (17 अप्रैल 2012 को निर्धारित) से संबंधित एक मामले में व्यापारी ने अक्तूबर 2010 माह में ‘सी’ प्रपत्र के प्रति ₹ 101.11 लाख की अंतर्राज्यीय बिक्री पर छूट का दावा किया। इसमें से ₹ 91.59 लाख का दावा डुप्लीकेट ‘सी’ प्रपत्रों पर था जिनमें विक्रेता व्यापारी के नाम, धनराशि, संख्या व बिल की तिथि में ओवर-राइट किया गया था। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी ने मामले का निर्धारण करते समय इन अनियमितताओं को नहीं देखा और व्यापारी द्वारा प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण ‘सी’ प्रपत्रों के आधार पर करों में रियायती दर की अनुमति दे दी।

इस प्रकार, ₹ 91.59 लाख की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की अस्वीकार्य रियायती दरों की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 9.62 लाख के कर की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 2.94 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

विभाग ने अपने जवाब (30 मार्च 2015) में कहा कि प्रपत्रों के सत्यापन हेतु जारीकर्ता राज्य ने संबंधित प्राधिकारियों से पत्राचार किया (22 जुलाई 2014)। व्यापारी द्वारा दावा की गई धनराशि का संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन न होने की स्थिति में मामले का पुनः निर्धारण किया जाएगा और उचित माँग उत्थित की जाएगी।

परिवहन विभाग

1.4 मोटर वाहन कर

विभाग द्वारा समय से कार्रवाई न किए जाने एवं खराब संविदा प्रबंधन के फलस्वरूप वाहन मालिकों पर ₹ 3.19 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। 1017764 वाहनों में से केवल 170581 को एचएसआरपी से जोड़ा गया। विभाग के पास बिना वैध योग्यता प्रमाण-पत्र के चलने वाले वाहनों का पता लगाने हेतु कोई कार्यप्रणाली नहीं है।

परिवहन विभाग (विभाग) की 2011-14 की अवधि की लेखापरीक्षा जून से अगस्त 2014 के दौरान यह देखने के लिए की गई कि क्या वाहनों का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस का निर्गमन, उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, परमिट, रोड कर का संग्रहण इत्यादि अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार थे या नहीं। लेखापरीक्षा ने परिवहन मुख्यालय के अभिलेखों की जाँच की और मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों (एमएलओ) के 15 कार्यालयों में से पाँच⁴ का यादृच्छिक चुनाव किया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती पैराग्राफ में दिए गए हैं।

1.4.1 वाहनों के पंजीकरण हेतु संविदा

विभाग ने मैसर्स शॉख टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लिमिटेड (एस.टी.आई.एल) के साथ जून 2003 में स्मार्ट कार्ड में वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र (वीआरसी) तैयार करने और वाहन मालिक से प्रति वाहन ₹ 416 शुल्क लेने का समझौता किया। समझौते के खण्ड 16 (1) (बी) के अनुसार, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर दोनों पक्षों के द्वारा समझौता खत्म किया जा सकता था।

1.4.1.1 खराब संविदा प्रबंधन के कारण वाहन मालिकों पर अतिरिक्त प्रभार

31 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (प्रतिवेदन सं. 2) में मुद्दों जैसे- एस.टी.आई.एल को वाहन के पंजीकरण कराने हेतु स्मार्ट कार्ड को लागू करने के लिए कार्य देने एवं चयन प्रक्रिया में चूक के लिए कड़े कदम उठाने, संविदा का अपर्याप्त मॉनीटर, कार्य को पुनः देने के लिए प्रक्रिया आरंभ न करना अथवा एस.टी.आई.एल से सेवा जारी रखने हेतु निर्णय लेने में विभाग की असफलता को उजागर किया।

समझौते के खण्ड 5 (xiii) के अनुसार, एस.टी.आई.एल को आवेदन के चार कार्यदिवसों के भीतर स्मार्ट कार्ड में नया वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र बनाने अथवा बदलने के लिए खाली स्मार्ट कार्ड का पर्याप्त स्टॉक बनाये रखना था। यद्यपि, अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि एस.टी.आई.एल ने खाली स्मार्ट कार्ड के पर्याप्त स्टॉक को बनाये नहीं रखा। जैसाकि, फर्म समय से वीआरसी जारी करने में असमर्थ थी तथा परिणामस्वरूप मई 2013 में 63082 वीआरसी जारी किया जाना लंबित रह गया। इसी बीच, विभाग ने समझौते को समाप्त करने के लिए सख्त निर्णय लेने के बजाए एस.टी.आई.एल. को जून 2006 से मई 2013 तक छः⁵ कारण बताओ नोटिस जारी किये। अक्टूबर 2013 में जब विभाग ने 31 दिसम्बर 2013 से एस.टी.आई.एल. की सेवा को समाप्त करने का निर्णय लिया तो एस.टी.आई.एल. ने दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे आदेश ले लिया अन्ततः संविदा 21 अप्रैल 2014 को समाप्त हो गयी। यद्यपि, उस समय तक, जारी किए जाने वाले बकाया

⁴ एमएलओ (एआरयू), एमएलओ (वीआईयू), एमएलओ (माल रोड), एमएलओ (लोनी रोड) तथा एमएलओ (वसन्त विहार)

⁵ 07.06.2006, 06.07.2007, 02.05.2008, 07.03.2012, 21.09.2012 तथा 10.05.2013

स्मार्ट कार्डों की संख्या 159619 तक पहुँच गई तथा फर्म ने इन लंबित कार्ड के बदले में जनता से ₹ 416 प्रति कार्ड की दर से ₹ 6.64 करोड़ संग्रह किया।

22 अप्रैल 2014 को वीआरसी जारी करने का कार्य दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम लि. (डीआईएमटीएस) को उप राज्यपाल की अनुमति से तत्काल आवश्यकता के कारण नामांकन आधार पर ₹ 200 प्रति कार्ड की दर से दिया गया। यद्यपि वह वाहन मालिक जो पहले ही ₹ 416 प्रति कार्ड की दर से पिछले विक्रेता को अदा कर चुके थे उन्हें इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया गया और उन्हें अपने वाहन के लिए वीआरसी जारी कराने हेतु पुनः ₹ 200 प्रति कार्ड नये विक्रेता को अदा करना पड़ा। इस प्रकार, एस.टी.आई.एल के समझौते को समाप्त करने के लिए विभाग के खराब संविदा प्रबंधन एवं समय से कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप वाहन मालिकों पर ₹ 3.19 करोड़⁶ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2015) में बताया कि संविदा का खराब प्रबंधन नहीं हुआ तथा मैसर्स एस.टी.आई.एल की कमियों को बहुत ज्ञापनों/कारण बताओ नोटिसों के माध्यम से उसके ध्यान में लाया गया। लंबित कार्डों के प्रति वाहन मालिकों से ₹ 6.64 करोड़ का संग्रहण करने के संबंध में, विभाग ने संबंधित बैंक को विभाग के पक्ष में ₹ 50 लाख की बैंक गारंटी को देने के लिए कहा था तथा मध्यस्थ न्यायधिकरण के समक्ष एस.टी.आई.एल से ₹ 6.64 करोड़ का दावा भी किया था। विभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि 31 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ध्यान दिलाए जाने के बावजूद विभाग ने संविदा को रद्द करने तथा बैंक गारंटी को भुनाने का समय से निर्णय लेने के बजाय, जून 2006 से मई 2013 के दौरान एस.टी.आई.एल को केवल ज्ञापन/कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

1.4.1.2 वीआरसी का आँकड़ा पुनः प्राप्त न किया जाना

समझौते के खण्ड 21.2 के अनुसार संविदा के खत्म होने पर विक्रेता सारी सूचना व आँकड़ा सही समय पर क्रेता को हस्तांतरित करेगा। 21 अप्रैल 2014 को एसटीआईएल से संविदा खत्म होने पर विभाग ने विक्रेता से वीआरसी सहित सारा आँकड़ा देने को कहा (जून 2014), फिर भी विभाग को यह मार्च 2015 तक प्राप्त नहीं हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2015) किया तथा बताया कि कार्य प्रगति में है।

1.4.2 उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट्स (एचएसआरपी) के संबंध में नीति

उच्चतम न्यायालय के निर्देश (फरवरी 2012) के अनुसार सभी राज्य सरकारों को एचएसआरपी की योजना को सम्पूर्ण राज्य में, यदि पुराने वाहन हो तो जून 2012 तथा नये वाहन हो तो 30 अप्रैल 2012 तक, सकारात्मक रूप से लागू करना था।

विभाग ने वाहन पर एचएसआरपी लगाने के लिए अप्रैल 2012 में बिडिंग प्रक्रिया के बाद मेसर्स रोसमेटा टेक्नोलॉजिज लिमिटेड का चयन किया। एचएसआरपी की योजना को लागू करने के लिए 28 अप्रैल 2012 में एक सूचना भी प्रकाशित की गई। 30 अप्रैल 2012 को या उसके बाद सभी पंजीकृत वाहन को वाहन के पंजीकरण के समय तथा पुराने वाहनों के मामले में 15 जून 2012 से 14 जून 2014 तक फर्म द्वारा एचएसआरपी लगवाई जानी अपेक्षित थी।

⁶ (159619 @ ₹ 200)

फर्म को वाहन मालिकों को न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए एचएसआरपी की अविनाशी प्रकृति की गारंटी देना, हेल्पलाइन नंबर वाली नकद रसीद देना, सप्ताह में दो बार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, 30 अप्रैल 2012 से पहले पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी लगाने हेतु योजना तैयार करना, ऐसे वाहन मालिकों तक पहुँचने हेतु एक प्रणाली स्थापित करना, एचएसआरपी को लगाने के लिए समय स्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करना तथा विभाग को एचएसआरपी लंबित मामलों की सॉफ्टकॉपी सहित विवरण प्रदान करना था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 30 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 तक पंजीकृत किए गए वाहनों में विक्रेता द्वारा 1017764 एचएसआरपी लगाया जाना अपेक्षित था। तथापि, विक्रेता ने 847183 (83 प्रतिशत) एचएसआरपी को छोड़ते हुए केवल 170581 (17 प्रतिशत) एचएसआरपी ही वाहन पर लगाए।

विभाग ने बताया (मार्च 2015) कि जब विक्रेता की ओर से हुई चूकों को ध्यान में रखते हुए संविदा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था, विक्रेता ने विभाग की प्रस्तावित कार्रवाई के प्रति कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी।

1.4.3 बिना मान्य योग्यता प्रमाण-पत्र (सीओएफ) के चलने वाले वाहन

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 में प्रावधान है कि धारा 59 तथा 60 के प्रावधानों के अनुसार कोई यातायात वाहन तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक इसके पास निर्धारित फॉर्म में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी सीओएफ न हो। नये यातायात वाहन के संबंध में सीओएफ दो वर्ष के लिए मान्य होगा जिसका वाहनों की निरीक्षण एवं जाँच तथा सीओएफ की स्वीकृति और नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क की प्राप्ति के साथ प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाए। नये गैर-यातायात वाहन के संबंध में सीओएफ 15 वर्ष के लिए मान्य होगा तथा इसके बाद वाहनों के निरीक्षण एवं जाँच के लिए निर्धारित शुल्क की प्राप्ति के साथ प्रत्येक पाँच साल पर इसका नवीनीकरण किया जाए।

कम्प्यूटर शाखा के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (जुलाई 2014) के अनुसार 61283 व्यावसायिक वाहन एवं 2680641 गैर-यातायात वाहन थे जिनकी उपयुक्तता अवधि 31 मार्च 2014 को समाप्त हो चुकी थी परन्तु उपयुक्तता जाँच के लिए सूचित नहीं किया तथा सड़कों पर चलाए जा रहे थे। इस प्रकार, वाहन न केवल बहुत बड़ी संख्या में बिना वैध योग्यता प्रमाण-पत्र के चलाये जा रहे थे बल्कि विभाग योग्यता शुल्क के पुनः पंजीकरण/नवीनीकरण के कारण राजस्व से भी वंचित हुआ। विभाग के पास बिना मान्य सीओएफ के चलने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए कोई कार्यप्रणाली नहीं है।

मामला विभाग को भेजा गया (दिसम्बर 2014)। जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2015)।

उपरोक्त बिन्दुओं की सरकार के पास रिपोर्ट की गई (दिसम्बर 2014); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2015)।